



सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 25.06.2026

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 27.07.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अंतिम तिथि: 03.08.2026

महत्वपूर्ण

- (1) (अ) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (ब) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
- (c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइलन सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में गविय हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
- (3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
- (4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेष विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नलिखित चार स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण - 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.R. अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरयु पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण - प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण - द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBIMOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.
उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से

authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- ऑन-लाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण - तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुप्रेषण/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरांत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई-डब्ल्यूएफ, क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
- (2) किसी भी स्तर पर परीक्षापोरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यावाही भी की जा सकती है।
- (3) उभयो लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अविधेयतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
- (4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुम्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
- (8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अनियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिकांरिष करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
- (9) का प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात् अथवा जब मौग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (ख) 'अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा० आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।'

2- आवेदन शुल्क: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- | | |
|--|--|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग | परीक्षा शुल्क रु 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 125/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति | परीक्षा शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 65/- |
| (iii) दिव्यांगजन | परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 25/- |
| (iv) मूलपूर्व सैनिक | परीक्षा शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 65/- |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

		‘खाद्य तकनीक’ अध्ययन के विषय (i) खाद्य इंजीनियरिंग (ii) खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक (iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण (iv) खाद्य प्रसंस्करण तकनीक (v) खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन (vi) खाद्य जैवप्रौद्योगिकी (vii) खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन (viii) खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन (ix) खाद्य प्रसंस्करण (x) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन (xi) प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग	‘कृषि विज्ञान’ विषय के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन के विषय (i) कृषि (ii) कृषि इंजीनियरिंग (iii) जैवप्रौद्योगिकी (iv) डेयरी तकनीकी (v) मत्स्य पालन (vi) खाद्य तकनीक (vii) खाद्य पोषण एवं आहार-विद्या (viii) होर्टिकल्चर	4	सचिव श्रेणी-2, मंडी परिषद्	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि। समकक्ष योग्यता: “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि।
अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।						
7	जिला परीवीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। समकक्ष योग्यता: महिला कल्याण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-44 / 2025 / 1049924 / 60-1099-116 / 2022, दिनांक 07-08-2025 द्वारा समकक्ष अर्हता “भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वूमन स्टडीज या जेन्डर स्टडीज में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की गयी है।” अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।				
8	सहायक निर्यंत्रक, विधिक माप विज्ञान, ग्रेड-2	(एक) (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या (ख) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, या (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में मौखिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि, और (दो) देव नागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी अर्हता:- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।				
9	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	1-किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि अथवा 1-गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव अधिमानी - 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। नोट:- उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र दिनांक: 07.07.2022 के अनुसार विशेष कार्याधिकारी(कम्प्यूटर) के पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित सरकारी विभाग / संस्था अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा:- 1-यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्परेशन लिमिटेड, लखनऊ। 2-अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद। 3-श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, निकट गोमती बैराज, गोमतीनगर, लखनऊ। 4-उत्तर प्रदेश सिस्टम कार्परेशन लिमिटेड, लखनऊ। 5-National Informatics Centre Services incorporated (NICSI) 6-National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)				
10	सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	1-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो 2-देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो। समकक्ष योग्यता: उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-124 / 2024 / 3052 / तीस-3-2024(ई1870664), दिनांक 22.11.2024 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) हेतु विधि स्नातक के समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदान की गयी त्रिवर्षीय विधि स्नातक की उपाधि को पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की उपाधि (B.B.A.L.L.B, B.A.L.L.B., B.Com. L.L.B., B.Sc.L.L.B.) के समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है। अधिमानी:- 1-प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।				
11	जिला कार्यक्रम अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मानव शास्त्र या मनो विज्ञान या अर्थ शास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- 1- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। या 2- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। या 3- राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।				
12	बाल विकास परियोजना अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- 1- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। या 2- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। या 3- राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।				
केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद						
क्र.सं.	पदनाम	अर्हताएं (अनिवार्य एवं अधिमानी)				
1	व्यवस्थापक	व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउस कीपींग के साथ होटल मैनेजमेन्ट और कैंटरिंग टेकनालाजी में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। अधिमानी : अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।				
2	लेखा एवं सम्प्रोक्षाधिकारी, मंडी परिषद्	एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। लेखा परीक्षा /लेखा में उच्च अर्हता के लिए अधिमान दिया जायेगा। नोट: किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमुख / अधिकृत सहाम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होगा।				
3	विपणन अधिकारी, मंडी परिषद्	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि। समकक्ष योग्यता: “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि।				

नोट- (1) अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिये जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जायेगा।					
(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/31247-का-2-312 एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :-“…………… विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये है:-					
(1)-(1)- उक्त प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।					
(2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-					
(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी।					
(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों / संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक.स्तर की उपाधियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे।					
(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।					
(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।					
नोट- पदों की संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।					
नोट- आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।					

9. शारीरिक मापदण्ड :- शारीरिक मापदण्ड वाले पदों जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमान्डेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी आदि के अध्यायन उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली / अध्यायन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा जो कि निम्नवत है :-

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु			
अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	165	84	89
(दो) अनुसूचित जनजातियाँ	160	79	84
(तीन) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियाँ	152	लागू नहीं।	
(चार) अनुसूचित जनजातियाँ	147	लागू नहीं।	
(पांच) सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन	40 किग्रा	लागू नहीं।	

जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	165	84	89
(दो) महिला अभ्यर्थी	150	79	84
(तीन) पुरुष अभ्यर्थी कुमार्छू और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160	84	89

अधीक्षक कारागार पद हेतु

(एक) ऊँचाई- 168 सेमी और कुमार्छू और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेमी से कम नहीं।
(दो) सीने का घेरा 81.3 सेमी (बिना फुलाए) और 86.3 सेमी (फुलाने पर) (तीन) दृष्टि 6/6
आबकारी निरीक्षक पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	167	81.2	86.2
(दो) महिला अभ्यर्थी (अनु. जाति/ अनुजन जाति)	147		
(तीन) अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु	152		

उपकारापाल पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से.मी.)
1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से.मी.	81.3 से.मी.	05 से.मी.
2- महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से.मी.	वजन 45 से 58 कि.ग्रा.	

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में उंचाई की माप निम्नवत है:-

पुरुष-160 से.मी.

महिला-147 से.मी.

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी

पुरुष अभ्यर्थी

1	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क) अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए		160.0 सेंटीमीटर
(ख) पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए		162.6 सेंटीमीटर
(ग) अन्य अभ्यर्थियों के लिए		167.7 सेंटीमीटर

	सीना	बिना फुलाए हुए सेंटीमीटर में	फुलाने पर सेंटीमीटर में
(क) अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए		76.5 सेंटीमीटर	81.3 सेंटीमीटर
(ख) अन्य अभ्यर्थियों के लिए		78.5 सेंटीमीटर	83.5 सेंटीमीटर

महिला अभ्यर्थी

	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क) अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए		147.0 सेंटीमीटर
(ख) अन्य अभ्यर्थियों के लिए		152.0 सेंटीमीटर

नोट:- अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व मलौमीति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।
10. आयु सीमा:- (1.) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवरध पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिवांगमन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका) पद हेतु :- अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु अवरध पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई 1986 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1986 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ०प्र० के अनुसूचित जाति, उ०प्र० के अनुसूचित जन जाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ०प्र. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ०प्र० बैसाक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षाक्षेत्र कर्मचारियों तथा उ०प्र० के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।
(ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।
(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार (एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो. उन्हें सेवा में पद पर नती के लिए सुचारुत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा। (दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष का अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष का अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा प्रमाण पत्र आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जाएगी। (तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्ही अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो। परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

नोट:- (1) मंडी परिषद के अंतर्गत लेखा एवं प्रबंधाधिकारी और विपणन अधिकारी पदों हेतु:-परिषद के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

(2) मंडी परिषद के अंतर्गत सचिव श्रेणी-2 पद हेतु:- समिति कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

नगर विकास विभाग के अंतर्गत

(3) लेखा एवं वित्त अधिकारी पद हेतु: किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी।

11. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:-

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु० 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु० 25/- योग रु० 225/- तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति/उ०प्र० के अनुसूचित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु० 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु० 25/- योग रु० 105/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ०प्र० के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु० 25/- मात्र देना होगा। उ०प्र० के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु० 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु० 25/- योग रु० 105/- निर्धारित है। उ०प्र० के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला, कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।
- (2) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/जमा करना होगा।
- (3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।
- (4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।
- (5) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे।
- (6) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा।
- (7) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय मॉगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन

- अनुमत्य नहीं होगा एवं इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं होगा।
(8) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।
(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(10) साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
नोट:- सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2026 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-

- (1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा) के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकार/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा विनियमित किये गये पदों पर दिव्यांगों का उस श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा।
- (4) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।
- (5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (6) कदाशश्च अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 6 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रसंगगत परीक्षा में लागू रहेंगे।
- (7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
- (8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- (9) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु शक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।
- (10) यादिका को (सी०) 165/2005 संजय सिंह बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जायेगा।
- (11) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
- (12) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।
- (13) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग परीक्षा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाईट्रनर, ब्लेड, पिन्स अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भर जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरपत्री होगा।
- (14) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा० आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति-गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति-हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति-नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति-नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।
- (15) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर ढण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हों। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) ढण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपयुक्तानुसार ही उसी तरह ढण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई ढण्ड नहीं दिया जायेगा।
- (16) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाए पर अर्ह माने जायेंगे।
- (17) अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।
- (18) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उपदेशरूप से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अर्ह (disqualify) हो जायेगा। अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
- (19) आयोग विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

नोट:- उक्त नियम पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में योजित स्पेशल अपील संख्या-233/2026 भावना यादव व 06 अन्य बनाम उ०प्र० शासन व 02 अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्थगनादेश पारित किया गया है।

(20) चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/संगत विधियों/प्रमावी शासनादेशों/मा० आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।

(21) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कट्टरपिठ Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता को लागू धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(22) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त

<table><tr><td>S. No.</td><td>Disability</td><td>Affected part of body</td><td>Diagnosis</td><td>Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Locomotor disability</td><td>@</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Muscular Dystrophy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Leprosy Cured</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Cerebral Palsy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Acid attack Victim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Low Vision</td><td>#</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Deaf</td><td>£</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Hard of Hearing</td><td>£</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Speech and Language disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>Intellectual Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Specific Learning Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td>Autism Spectrum Disorder</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.</td><td>Mental illness</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14.</td><td>Chronic Neurological Conditions</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15.</td><td>Multiple sclerosis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16.</td><td>Parkinson's disease</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17.</td><td>Haemophilia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18.</td><td>Thalassemia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19.</td><td>Sickle Cell disease</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (Please strike out the disabilities which are not applicable) 2. The above condition is progressive/non-progressive/liklye to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is :- (i) not necessary. or (ii) is recommended/afteryears months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) @ e.g. Left/right/both arms/legs # e.g. Single eye/both eyes £ e.g. Left/Right/both ears 4. Signature and seal of the Medical Authority. <table><tr><td>Name and Seal of Member</td><td>Name and Seal of Member</td><td>Name and Seal of the Chairperson</td></tr><tr><td colspan="2">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td><td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td></tr></table> उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र। प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरंकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)के आश्रित हैं। स्थान..... दिनांक..... हस्ताक्षर..... पूरा नाम..... पदनाम..... मुहर..... जिलाधिकारी..... सील..... कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप - 1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... दिनांक..... हस्ताक्षर..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।					S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)	1.	Locomotor disability	@			2.	Muscular Dystrophy				3.	Leprosy Cured				4.	Cerebral Palsy				5.	Acid attack Victim				6.	Low Vision	#			7.	Deaf	£			8.	Hard of Hearing	£			9.	Speech and Language disability				10.	Intellectual Disability				11.	Specific Learning Disability				12.	Autism Spectrum Disorder				13.	Mental illness				14.	Chronic Neurological Conditions				15.	Multiple sclerosis				16.	Parkinson's disease				17.	Haemophilia				18.	Thalassemia				19.	Sickle Cell disease				Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नामराज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता)ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नामराज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान..... हस्ताक्षर..... दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर..... नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा। प्रमाण-पत्र उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह 'ख' उच्चतर के अन्तर्गत प्रधानाचार्य पद हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम..... पता संस्था का नाम हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्त थे/हैं तथा तीन वर्ष तक (अध्यापन हेतु पदनाम..... दिनांक से दिनांक तक) निरंतर पढ़ाने का अनुभव एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित आहरित वेतन बैण्ड ग्रेड पे कुल परिलब्धियाँ कार्यरत थे/हैं। हस्ताक्षर..... नाम..... प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/रजिस्ट्रार..... मुहर..... प्रतिहस्ताक्षरित..... संयुक्त शिक्षा निदेशक..... मंडल का नाम..... मुहर..... क्रमांक: उत्तर प्रदेश शासन नियोजन विभाग मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री..... श्री/श्रीमती..... जिनकी जन्मतिथि..... है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संवालिit मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड..... जनपद.....				
S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)																																																																																																															
1.	Locomotor disability	@																																																																																																																	
2.	Muscular Dystrophy																																																																																																																		
3.	Leprosy Cured																																																																																																																		
4.	Cerebral Palsy																																																																																																																		
5.	Acid attack Victim																																																																																																																		
6.	Low Vision	#																																																																																																																	
7.	Deaf	£																																																																																																																	
8.	Hard of Hearing	£																																																																																																																	
9.	Speech and Language disability																																																																																																																		
10.	Intellectual Disability																																																																																																																		
11.	Specific Learning Disability																																																																																																																		
12.	Autism Spectrum Disorder																																																																																																																		
13.	Mental illness																																																																																																																		
14.	Chronic Neurological Conditions																																																																																																																		
15.	Multiple sclerosis																																																																																																																		
16.	Parkinson's disease																																																																																																																		
17.	Haemophilia																																																																																																																		
18.	Thalassemia																																																																																																																		
19.	Sickle Cell disease																																																																																																																		
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson																																																																																																																	
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																																																																																																																	

.....में दिनांक.....से.....तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया ।
नोट: यह प्रमाण—पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है ।
दिनांक :

विशेष सचिव, नियोजन विभाग

परिशिष्ट-2
परीक्षा की योजना

सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा-2026 हेतु प्रतियोगिता

परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं । यथा:-- (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की),

(2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा)

(3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)

1. प्रारम्भिक परीक्षा

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा-2026 की प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी । जिनके उत्तर पत्रक ओ. एम. आर. सीट के रूप में होंगे । प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है । प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों के तथा दो-दो घण्टे अवधि के होंगे । दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे । प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक ।

नोट: (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है । अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा । (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा ।

2. सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय:

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-4 में उल्लिखित हैं ।

अनिवार्य विषय		
1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक
2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक
3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक
4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक
5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक
6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक
7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक
8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक

नोट: सभी प्रश्न पत्र परम्परागत (Conventional) प्रकार के होंगे । इन प्रश्न-पत्रों के हल करने की अवधि 3 घण्टे होगी । अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे ।

3. व्यक्तित्व परीक्षा /साक्षात्कार (कुल अंक 100)

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होगी ।

परिशिष्ट-3

सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भिक

परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-1

(सामान्य अध्ययन- I)

अवधि-दो घण्टे
अंक - 200

- राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें
- भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- भारत एवं विश्व का भूगोल— भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल
- भारतीय राजनीति एवं शासन— संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास—सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है
- सामान्य विज्ञान
- राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें: राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी ।
- भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है ।
- भारत एवं विश्व का भूगोल: भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी । भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे ।
- भारतीय राजनीति एवं शासन—संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे ।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास— सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव

आदि: अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा ।

- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन: इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है । अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है ।
- सामान्य विज्ञान: सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है ।
- नोट: अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो ।

प्रश्नपत्र-2

सामान्य अध्ययन- II

अवधि-दो घण्टे
अंक - 200

- कामिप्रहेन्सन (विस्तारिकरण)
- अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा ।
- तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता ।
- निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान ।
- सामान्य बौद्धिक योग्यता ।
- प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक— अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी ।
- सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक ।
- सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक ।

प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

1. अंकगणित:

- (1) संख्या पद्धति: प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय-अपरिमेय एवं वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्यायें । पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य तथा उनमें सम्बन्ध ।
- (2) औसत
- (3) अनुपात एवं समानुपात
- (4) प्रतिशत
- (5) लाभ-हानि
- (6) व्याज— साधारण एवं चक्रवृद्धि
- (7) काम तथा समय
- (8) चाल, समय तथा दूरी

2. बीजगणित:

- (1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें सम्बन्ध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण
- (2) समुच्चय सिद्धान्त: समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियायें (संघ, प्रतिच्छेद, अन्तर, समिश्रित अन्तर), बेन-आरेख

3. रेखागणित:

- (1) त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण सम्बन्धी प्रमेय तथा परिमाण एवं उनके क्षेत्रफल,
- (2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ।
- 4. सांख्यिकी: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्भारता, बारम्भारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्भारता, आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्भारता बहुभुज, संचयी बारम्भारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप—समात्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ।

General English Upto Class X Level

- 1. Comprehension
- 2. Active Voice and Passive Voice
- 3. Parts of Speech
- 4. Transformation of Sentences
- 5. Direct and Indirect Speech
- 6. Punctuation and Spellings
- 7. Words meanings
- 8. Vocabulary & Usage
- 9. Idioms and Phrases
- 10. Fill in the Blanks

सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

- (1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह
- (2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ
- (3) शब्द-रूप
- (4) संधि, समास
- (5) क्रियायें
- (6) अनेकार्थी शब्द
- (7) विलोम शब्द
- (8) पर्यायवाची शब्द
- (9) मुहावरे एवं लोकोक्तियां
- (10) तत्सम एवं तदभव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)
- (11) वर्तनी
- (12) अर्थबोध
- (13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
- (14) उ0प्र0 की मुख्य बोलियाँ

परिशिष्ट-4

सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम

1. आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता /पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
2. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें अन्यथा दण्डस्वरूप उनके अंकों में कटौती की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखें अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकता है। 3. यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट/अपठनीय है तो उसके प्रश्नों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। 4. अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिन्दी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु उन्हें भाषा के प्रश्न-पत्र का उत्तर जब तक कि प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। 5. प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे। 6. सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा।

सामान्य हिन्दी

(1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग— (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एकशब्द, (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, (5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

निबन्ध

निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं।

निबन्ध के प्रश्न-पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक-एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)	खण्ड (ख)	खण्ड (ग)
1. साहित्य और संस्कृति	1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी	1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. सामाजिक क्षेत्र	2. आर्थिक क्षेत्र	2. प्राकृतिक आपदाएं भू-स्खलन, भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि।
3. राजनैतिक क्षेत्र	3. कृषि उद्योग एवं व्यापार	3. राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 01 से 06 तक के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-।

- भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला-रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।
- आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई0 से 1947 ई0 तक)— महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि।
- स्वतंत्रता संग्राम— इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति /उनका योगदान।
- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई0 तक)।
- विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, कासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।
- भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
- महिला— समाज और महिला-संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान।
- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
- विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण— जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
- भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं— भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।
- भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभावनायें।
- मानव प्रवास— विश्व की शरणार्थी समस्या— भारत— उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
- सीमान्त तथा सीमाएं— भारत उप- महाद्वीप के संदर्भ में।
- जनसंख्या एवं अधिवास— प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

सामान्य अध्ययन-।।

- भारतीय संविधान— ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ।
- केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
- शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका— संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य— सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक /अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पीओआईएलओ)।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत— उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईओसीटीओ)।
- विकास प्रक्रियाएं—गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अमिदाता, सहायतायें संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य— निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतर के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र /सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और मूल्य से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और /अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच— उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
- क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

सामान्य अध्ययन-।।।

- भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति (एनओआईटीओआईओ) आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजीओ)।
- गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।
- सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
- प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का मंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई-तकनीकी।
- अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली-उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि में तकनीकी अभिगान।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग-कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
- भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
- आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।
- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय सघात आंकलन।
- आपदा: गैर-पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा शमन एवं प्रबंधन।
- अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ : आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
- भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ: आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बग़ावत तथा संगठित अपराध।
- सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
- कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।

सामान्य अध्ययन-।V

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः सम्बन्ध**, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम : नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य—महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिव्यक्ति**: अंतर्वस्तु (कंटेन्ट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।
- सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर- तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा।
- संवेगालक बुद्धि**: अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान।
- लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र**: स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतर्रात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अन्तरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (कडिंग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारी**: लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक-निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ।
- उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

सामान्य अध्ययन-V

- उ0प्र0 का इतिहास, सम्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर।
- उ0प्र0 की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रख-रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व।
- भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उ0प्र0 का योगदान।
- उ0प्र0 के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व।
- उ0प्र0 में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे: सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य/बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।
- उ0प्र0 की राज्यव्यवस्था-शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध।
- उ0प्र0 में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र।
- उ0प्र0-विशेष राज्य चयन मानदण्ड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य

निर्वाचन आयोग । 9. उ0प्र0 में स्थानीय स्वशासन: शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे । 10. उ0प्र0—सुशासन, प्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई—गवर्नेस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना । 11. उ0प्र0 में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव । 12. उ0प्र0 में सुस्था से जुड़े मुद्दे— (i) उपग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध । (ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राष्ट्रीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्क, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका । (iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम । (iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियों और उनके शासनादेश / अधिकार—पत्र । (v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध । 13. उ0प्र0 में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा । 14. उ0प्र0 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे । 15. उ0प्र0 में शिक्षा प्रणाली । 16. भारत के विकास में उ0प्र0 की भूमिका । 17. उ0प्र0 की समसामयिक घटनाएँ । 18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन । 19. उ0प्र0 में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव । 20. उ0प्र0 में पर्यटन: मुद्दे एवं सम्भावनायें । 21. उ0प्र0 में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार: इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक—आर्थिक विकास पर प्रभाव । <u>सामान्य अध्ययन – VI</u> 1. उ0प्र0 का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएँ, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्त्व । 2. उ0प्र0 का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग । 3. उ0प्र0 सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास । 4. उ0प्र0 में निवेश: मुद्दे एवं प्रभाव । 5. उ0प्र0 की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति । 6. उ0प्र0 में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर—नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन । 7. उ0प्र0 की जनसांख्यिकी, जनसंख्या एवं जनगणना । 8. उ0प्र0 में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन । 9. उ0प्र0 की नवीन वानिकी नीति । 10. उ0प्र0 की कृषि एवं सामाजिक वानिकी । 11. उ0प्र0 में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान । 12. उ0प्र0 के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक । 13. उ0प्र0 का भूगोल— भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति ।	14. उ0प्र0 में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य । 15. उ0प्र0 में परिवहन तंत्र । 16. उ0प्र0 में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना । 17. उ0प्र0 में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य । 18. उ0प्र0 के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास—मैदान, आद्रभूमि । 19. उ0प्र0 के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे । 20. उ0प्र0 के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र—संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव—जन्तु एवं वनस्पतियाँ । 21. उ0प्र0 में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न । 22. उ0प्र0 में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ0प्र0 के विकास में इनका प्रभाव । 23. उ0प्र0 के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना । <u>परिशिष्ट-5</u> <u>प्रदों की संगत सेवानियमावलियों का विवरण</u> 1. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) 2. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम अद्योग बोर्ड (समूह 'क' और 'ख') सेवा विनियमावली, 2005 (यथा संशोधित) 3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 4. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित) 5. उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) 6. उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (बाट तथा माप) सेवा नियमावली, 1981 7. उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) 8. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (खाद्य सुरक्षा संवर्ग) (समूह 'क', 'ख' और 'ग') सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) 9. उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) 10. उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली 2019 (यथा संशोधित) 11. उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) 12. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 13. प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 14. उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) 15. उत्तर प्रदेश सचिवालय व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक सेवा नियमावली, 2015 16. उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 17. उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 18. उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2001 19. उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 20. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 (यथा संशोधित) 21. उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 (यथा संशोधित)
--	--